महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

फोन नं– 0151–2212046, ईमेल एड्रेस– comptroller@mgsubikaner.ac.in

क्रमांक :F-4 ( )/मगसविबी/स्टोर/वि.टेंडर/2016/ 1472 दिनांक : 1-2-16

निविदा सूचना

विश्वविद्यालय में वार्षिक दर संविदा के लिए अनुभवी, पंजीकृत फर्मों/ठेकेदारों से अनुबंध निष्पादन कि तिथि से एक वर्ष के लिए मोहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है :

क्रम संख्या	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि रू.	निविदा शुल्क रू
1.	प्लास्टिक वूवन बैग्स क्रय	5.00	10,000/-	200/-
2.	कैंटीन संचालन	5.00	10,000/-	200/-
3.	विश्वविध्यालय में विभिन्न समारोहों हेतु भोजन/अल्पाहार व्यवस्था	3.00	6,000/	200/-
4.	विश्वविध्यालय में फ़ोटोस्टेट,स्पाईरल बाइंडिंग	3.00	6,000/-	200/-
5.	फ़ोटोस्टेट,स्पाईरल बाइंडिंग एवं इन्टरनेट (छात्र सुविधा केंद्र)	1.50	3,000/-	200/-
6.	वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी	3.00	6,000/-	200/-
7.	विभिन्न सेवाओं की प्रदायगी : (अ) टेंट व्यवस्था	8.00	16,000/-	200/-
	(ब) जेनरेटर व्यवस्था	1.50	3,000/-	200/-
	(स) माइक व्यवस्था	1.50	3,000/	200/-
8.	विश्वविध्यालय की विभिन्न परीक्षाओं में प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं का विक्रय	20.00	40,000/-	400/-
9.	विश्वविद्यालय में फ्लेक्स प्रिंटिंग व आपूर्ति	1.50	3,000/-	200/-

नोट : 1.बिना धरोहर राशि, सशर्त,अपूर्ण निविदाएँ मान्य नहीं होगी 2. प्रत्येक कार्य के लिए अलग-अलग मोहरबंद निविदाएँ लिफाफे में जिस पर निविदा कार्य का नाम अंकित हो, धरोहर राशि मय निविदा शुल्क सहित 18.02.16 को मध्यान्ह 2:00 बजे तक वित्त नियंत्रक कक्ष में जमा की जायेंगी एवं उसी दिन मध्यान्ह 03:00 बजे निविदायें खोली जायेंगी 3.अवकाश की स्थिति में आगामी कार्य दिवस में निविदा प्राप्त कर खोली जायेगी 4.निविदा प्रपत्र एवं शर्तें विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.mgsubikaner.ac.in** एवं **http://sppp.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध है , उक्त निविदा प्रपत्र एवं शर्तें डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती हैं 5. डाक द्वारा निविदाएँ मान्य नहीं होंगी ।

वित्त नियंत्रक

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

जैसलमेर रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग नं– 15, बीकानेर

फोन नं– 0151–2212046, ईमेल एड्रेस– mgsucomptroller@yahoo.in

निविदा–प्रपत्र

प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं की रद्दी के विक्रय हेतु निविदा।

मूल्य रूपये–400/–

निविदा फॉर्म एवं धरोहर राशि व निविदा शुल्क जमा करने की अवधि – **18.02.16 दोपहर 2:00 बजे तक** **निविदा खुलने की तिथि – 18.02.16 अपरान्ह् 3:00 बजे।** **धरोहर राशि 40,000/-नकद रसीद/बैंक ड्रफ्ट द्वारा जो वित्त नियंत्रक , महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के पक्ष में देय हो।**

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली : ....
   फर्म का नाम व डाक का पूरा पता ....
   ....
2. दूरभाष नं. अ–प्रतिष्ठान ....
   ब–निवास
3. आर.एस.टी./(रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करें)..
   सी.एस.टी/टिन नम्बर ....
4. प्रोपराइटर/अधिकृत प्रतिनिधि का नाम ....
   जिससे सम्पर्क किया जा सके ....
5. पैन नम्बर (छाया प्रति संलग्न करें) ....
6. क्या निविदादाता फर्म का कागज/कागज ....
   की लुगदी बनाने का स्वयं का कारखाना ....
   है, यदि हां तो उसकी क्षमता एवं वार्षिक ....
   टर्न ऑवर का विवरण अंकित करें। ....

आईटम का विवरण	दर प्रति क्विंटल
विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में काम में ली गयी उत्तर–पुस्तिकाऐं। जिनका बोरों सहित वजन लगभग 1000 क्विंटल है। (दर प्रति क्विंटल बोरों सहित दी जानी है।)	

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं की रद्दी हेतु नीलामी निविदा की शर्तें

1 दरें प्रति क्विंटल अंको तथा शब्दों में लिखी जानी चाहिए। इस कार्यालय के टेण्डर फार्म के अलावा किसी अन्य पत्रों में अंकित दरें स्वीकार नहीं की जायेगी।

2 दरें मोहरबंद लिफाफे में धरोहर राशि रू. 40,000/- के साथ दिनांक 18.02.16 को दोपहर 2:00 बजे तक **वित्त नियंत्रक , महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर** के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट अथवा नकद में जमा करायी जा सकती हैं। चैक स्वीकार नहीं किये जायेगें। पूर्व जमा धरोहर राशि यदि कोई हो तो इस निविदा के लिये मान्य नहीं होगी। धरोहर राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

3 विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी टेंडर को बिना कोई कारण बताये आंशिक अथवा पूर्ण रूप से निरस्त कर दें अथवा उपयोग में ली गई उत्तर पुस्तिकाओं को बिना कोई कारण बताये पूर्ण अथवा किश्तों में बेचना स्थगित कर दें।

4 विश्वविद्यालय द्वारा दर स्वीकृत किये जाने पर सम्पूर्ण माल कार्य आदेश की तारीख के 20 दिन के **कार्यालय समय में प्रातः 10:00 से सांय 5:00 बजे के** अन्दर उठाना होगा। इस अवधि में अवकाश के दिन भी शामिल होंगे। निर्धारित अवधि में माल न उठाने पर गोदाम (स्थान) किराया निम्नानुसार वसूली योग्य होगा:–

क्र.सं.	विलम्ब	गोदाम किराया
1.	प्रथम सात दिन के विलम्ब पर	रू. 250/– प्रतिदिन
2.	सात दिन से अधिक परन्तु 20 दिन तक के विलम्ब पर	रू. 500/– प्रतिदिन
3.	20 दिन से अधिक विलम्ब पर	रू. 750/– प्रतिदिन

5 जिसं निविदादाता की दरें स्वीकार होगी उसको अनुमोदित कुल मूल्य की चौथाई राशि **वित्त नियंत्रक, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर** के नाम बैंक ड्राफ्ट अथवा नकद प्रतिभूति राशि के रूप में दरें स्वीकृत की सूचना जारी होने की तिथि से सात दिवस में जमा करानी होगी एवं निर्धारित प्रपत्र में 1000 रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करार निष्पादित करना होगा। सफल निविदादाताओं को प्रतिभुति राशि के अतिरिक्ति सामग्री उठाते समय प्रत्येक लोट की कीमत विश्वविद्यालय में नगद जमा करानी होगी। कीमत पूर्ण जमा होने पर ही लोट का माल उठा सकेगा। प्रतिभूति राशि का समायोजन माल के मूल्य के पेटे नहीं किया जावेगा तथा प्रतिभूति राशि शर्त संख्या– 24 के अनुसार ही लौटायी जावेगी। टेण्डर स्वीकृति के पश्चात् सफल निविदादाता करार नामा निष्पादित करने में विफल रहता है तो इन शर्तो का भंग होना माना जावेगा। ऐसी स्थिति में धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी। तदोपरान्त अन्य निविदादाता को कार्यादेश देने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा ।

6 माल का वजन अनुमानतः हैं। वह कम या अधिक हो सकता हैं। माल उठाने एवं तुलवाने आदि का व्यय फर्म को ही वहन करना होगा।

7 निविदा स्वीकृति पर सफल निविदादाता द्वारा निर्धारित अवधि में माल न उठान पर धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि की जब्ती की कार्यवाही की जावेगी।

8 निविदा में दी गयी दरें निविदा खोलने की तिथि से 90 दिन तक विधिमान्य होगी।

9 उपयोग में ली हुई उत्तरपुस्तिकाओं/सामग्री का निरीक्षण इच्छुक निविदादाता किसी भी कार्य दिवस में सहायक कुलसचिव परीक्षा/ अनुभागाधिकारी गोपनीय से अनुमति प्राप्त कर विश्वविद्यालय की गोपनीय शाखा में कर सकते हैं।

10 निविदादाता माल (उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल, प्रिंटेड मैटर के बण्डल तथा अन्य प्रिंटेड मैटर सामग्री) देखकर व माल के वजन का अन्दाजा लगा कर टेण्डर दें। समस्त माल जिस स्थिति में जहॉ जहॉ पर भी है, कार्यालय से पूरा उठाना होगा।

11 निबंधनों तथा शर्तों को भंग करने या संविदा को असंतोषप्रद ढंग से पूरा करने पर विश्वविद्यालय द्वारा पूर्णतः/अंशतः प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय विनिश्चय ही अंतिम होगा।

12 सामग्री के लोडिंग/अनलोडिंग की जिम्मेदारी केता फर्म की होगी।

13 कागज की लुगदी बनाने वाले कारखाना रखने वाली फर्म/अधिकृत डीलर को प्राथमिकता दी जावेगी।

14 किसी भी प्रकार की विवादास्पद स्थिति में कुलपति महोदय का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। किसी कानुनी कार्यावाही की स्थिति में क्षेत्राधिकार केवल बीकानेर स्थित सक्षम न्यायालय ही होगा।

15 निविदादाता द्वारा निविदा में जोड़ी गई कोई भी अन्य शर्त मान्य नहीं होगी। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।

16 विक्रय राशि पर बिक्री कर व अधिभार माल उठाने से पर नियमानुसार प्रचलित दरों से संबंधित विभाग (सेलटेक्स ऑफिस)को निविदादाता द्वारा उसी दिन जमा करवाकर बिकी तिथि से सात दिवस में चालान की प्रति विश्वविद्यालय में जमा करानी होगा।

17 समस्त कर यथा वेट या बिकी कर निविदादाता द्वारा चुकाए जावेंगे तथा विश्वविद्यालय पर किसी प्रकार के कर की देयता नहीं होगी।

18 निविदा उन फर्मो/व्यवसायियों की ही मान्य होगी जो उन वस्तुओं के लिये रजिस्टर्ड/अनुमोदित क्रेता हो, जिसके लिये निविदा दी जा रही हैं। फर्म के पास आर.एस.टी/सी.एस.टी/टिन नम्बर का होना अनिवार्य है।

19 निविदादाता अपनी निविदा अथवा उसके सारभूत किसी भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा और न किसी को आगे निविदा पर दे सकेगा।

20 निविदादाता द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि असफल निविदादाता को दरें स्वीकृत होने के एक माह के भीतर लौटा दी जायेगी किन्तु सफल निविदादाता की धरोहर राशि को प्रतिभूति के एक भाग के रूप में मान लिया जायेगा।

21 निविदादाता को निविदा एवं संविदा की शर्तो एवं उपबन्धों की स्वीकृति के प्रतिस्वरूप निविदादाता प्रपत्र एवं निविदा शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ के अन्त में हस्ताक्षर करने अनिवार्य हैं।

22 परीक्षा की प्रयुक्त उत्तरपुस्किाएं आदि फर्म के द्वारा पल्प बनवाने हेतु सीधे मिल को भिजवानी होगी उत्तरपुस्तिकाओं का कागज गलाकर पल्प में परिणित करना होगा तथा माल उठाने के 15 दिनों में इस आशय का प्रमाण–पत्र देना होगा कि समस्त सामग्री का पल्प मिल में बनवा दिया गया हैं। यदि उत्तर पुस्तिकायें बाजार में विक्रय हेतु पाई गई तो संबंधित फर्म के विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक/कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

23 फर्म की बिक्री कर शोधन प्रमाण–पत्र संबंधित सर्किल अधिकारी का निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा अन्यथा निविदा प्राप्त होने पर वह अस्वीकृत की जा सकती हैं।

24 सफल निविदादाता की प्रतिभूति राशि संविदा के पूर्ण होने के पश्चात् शर्त सं. 22 के अनुसार प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर एक माह में लौटा दी जावेगी। ऐसी प्रतिभूति राशि पर विश्वविद्यालय द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

25 नेगोशियेशन्स के अन्तर्गत यदि निविदादाता मूल निविदा में अंकित दरों से कम दरें अंकित करते हैं अथवा कोई नई शर्त रखते हैं तो समिति को यह अधिकार होगा कि वह मूल निविदा की दरों को स्वीकार करे। यदि नेगोशियेशन्स में मूल निविदा मे अंकित दरों से अधिक दरें आती हैं तो समिति अधिक दरों को स्वीकार करने लिये अधिकृत होगी।

26 निविदादाता को अपने कार्यालय व गोदाम के भू–गृह आदि का पूरा पता अनिवार्यतः देना होगा। ताकि वहां जाकर निरीक्षण किया जा सके। जिन व्यापारियों ने कारोबार नया ही शुरू किया हो, उनके लिये अपने बैंकरों का परिचय पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

27 समस्त उत्तरपुस्तिकाओं को उठाने के बाद कोई उत्तर पुस्तिका उठाना शेष नहीं है, इस आशय का प्रमाण–पत्र परीक्षा नियंत्रक से प्राप्त करने पर ही कार्य पूर्ण माना जावेगा।

28 विक्रय की गयी उत्तर पुस्तिकाओं का परिवहन अनुमोदित केता को पूर्ण सावधानी के साथ इस प्रकार करना होगा कि समस्त उत्तर पुस्तिाऐं विश्वविद्यालय परिसर से उठाये जाने के बाद सीधे मिल में ही पहुँचे। साथ ही उत्तर पुस्तिकाओं को मजबूत त्रिपाल आदि से चारों तरफ से इस ढंग से मजबूती से कवर्ड करना होगा ताकि परिवहन के दौरान मार्ग में कहीं पर भी उत्तर पुस्तिका/ उत्तरपुस्तिकाएं गिरने नहीं पावें। यदि मार्ग में कहीं पर भी उत्तर पुस्तिका/ उत्तरपुस्तिकाओं के गिरने की रिपोर्ट/जानकारी विश्वविद्यालय की आती/होती है तो निविदादाता के विरूद्ध कानूनी/ अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी, जिसके लिए निविदादाता स्वयं ही उत्तरदायी होगी।

29 सफल निविदादाता को रद्दी का तौल विश्वविद्यालय द्वारा गठित तौल समिति के सदस्यों की उपस्थिति में विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार धर्मकांटे पर स्वयं के खर्चे पर करवाना होगा। प्रत्येक बार तौल के आधार पर कुल राशि उसी दिन विश्वविद्यालय मे जमा करानी होगी। आवश्यकता हुई तों रद्दी का तौल दो कॉटो पर भी करवाया जा सकता हैं ऐसी स्थिति में अधिक तौल/वजन वाले कॉटे का वजन ही मान्य होगा।

30 किसी भी शर्त में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से शिथिलता प्रदान करने का अधिकार कुलपति में निहित होगा।

31 अन्य शर्तें/सुसंगत प्रावधान विश्वविद्यालय में अंगीकृत बजट, वित्तीय एवं लेखा नियम, 1997 में यथा वर्णितानुसार लागू होंगे।

32.धरोहर राशिः–

(i) निविदा के साथ धरोहर राशि के 40,000/– रूपए नकद राशि या डिमाण्ड ड्राफ्ट के द्वारा जमा होनी चाहिये जिसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट की राशि वित्त नियंत्रक, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के पक्ष में जमा करायी जानी चाहिये।

(ii) धरोहर राशि निविदा के अंतिम रूप से स्वीकार किये जाने एवं अनुबंध हो जाने के बाद यथाशीघ्र विफल निविदादाता को प्रत्यार्पित कर दी जायेगी। सफल निविदाकारों को करार के समय सामग्री मुल्य की पॉच प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी, जिसमें उनके द्वारा जमा धरोहर राशि का समायोजन कर लिया जावेगा शेष प्रतिभूति राशि भी नकद/डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करानी होगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(iii) राजस्थान के लघु उद्योग इकाई के अन्तर्गत पंजीकृत फर्मों को निदेशक उद्योग विभाग द्वारा जारी किए पंजीयन प्रमाण–पत्र, क्षमता प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर 0.5 प्रतिशत धरोहर राशि ली जाएगी तथा आदेशित मूल्य 1 प्रतिशत प्रतिभूति राशि ली जावेगी।

(iv) केन्द्र सरकार या राजस्थान सरकार के उपक्रमों से उपरोक्तानुसार धरोहर राशि तथा प्रतिभूति निक्षेप देने की अपेक्षा नहीं की जावेगी।

33.निविदा की स्वीकृति, अनुबंध एवं प्रतिभूति राशिः–

(i) किसी भी निविदा को स्वीकार करने में महाराजा गंगासिहं विश्वविद्यालय, बीकानेर के लिए आवश्यक नहीं है कि वह न्युनतम दर की निविदा हो।

(ii) विश्वविद्यालय के पास किसी भी निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। जिन वस्तुओं के लिए निविदा की गयी है, उनकी पूर्ण मात्रा या उसके किसी भाग के लिए विश्वविद्यालय की ईच्छानुसार आदेश दिए जा सकते हैं तथा विशेष परिस्थिति में सामग्री की विश्वविद्यालय में पचास प्रतिशत तक वृद्धि एवं कमी की जा सकती है।

(iii) सफल निविदादाताओं को अपने खर्चे पर निविदा स्वीकार करने की सूचना जारी होने के दस दिवस में निम्नानुसार कार्यवाही करनी होगीः–

1. जिसमें निर्धारित प्रारूप में नियमानुसार निर्धारित राशि के रू 1000 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करार निष्पादित करना होगा।
2. संविदा के यथावत क्रियान्विती के लिए प्रस्तावित कार्यादेश के मूल्य के 5 प्रतिशत बराबर प्रतिभूति राशि नगद/ड्राफ्ट द्वारा **तीन दिवस में** जमा करानी होगी। यदि निविदादाता विहित कालावधि में प्रतिभूति राशि जमा कराकर करारनामा निष्पादित करने में विफल रहता है तो इस प्रकार विफल रहने को निबंधनों तथा शर्तों का भंग होना माना जाएगा एवं धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। तदुपरान्त बिना नोटिस अन्य निविदादाताओं को क्रय आदेश देने का अधिकार होगा। प्रतिभूति राशि में लघु उद्योग इकाई को शर्त संख्या 2 के (iii) में वर्णित सत्यापित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर सफल निविदादाता को नियमानुसार छूट दी जावेगी। प्रतिभूति राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

(iv) निबंधनों तथा शर्तों को भंग करने या संविदा को असंतोषप्रद ढंग से पूरा करने पर क्रेता अधिकारी द्वारा पूर्णतः या अंशतः प्रतिभूति राशि जब्त करली जावेगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय का विनिश्चय ही अंतिम होगा।

(v) प्रतिभूति राशि समस्त संबंधितों से संतोषप्रद कार्य की सूचना प्राप्त होने एवं संविदा की कार्यावधि पूर्ण होने के पश्चात् के धरोहर/प्रतिभूति राशि लौटा दी जावेगी, ऐसी प्रतिभूति राशि पर विश्वविद्यालय द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।

(vi) धरोहर राशि अथवा प्रतिभूति राशि का विप्रेक्षण व्यय (रिमिटेंस चार्जेज) संविदादाता द्वारा वहन किए जाऐंगे।

34.इस निविदा एवं अनुबंध के संबंध में अन्य शर्तें एवं नियम, जिनका उल्लेख उपर नहीं किया गया है, राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी

35. विवाद होने पर बीकानेर के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जायेगा।

36. क्रय अधिकारी किसी भी निविदा को चाहे वह न्यूनतम न हो स्वीकृत करने किसी भी निविदा के बिना कारण बतलाए अस्वीकृत करने और किसी भी निविदा को रद्द करने या किसी या अधिक वस्तुओं जिसके लिए निविदा दी गयी है या भण्डार के मदों को एक फर्म/प्रदायक के अधक वितरित करने का अधिकार सुरक्षित रखता हैं ।

उक्त शर्तों को मैंने भलीभांति पढ़ लिया है और मैं उक्त शर्तों का पालन करने हेतु पूर्णतया सहमत हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर